

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्री विनोद कुमार (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या / 02 / 2017

दायर दिनांक 23.03.2017

केशुलाल	उनवान बनाम	नवली
---------	---------------	------

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क आर.टी.एक्ट

निर्णय दिनांक: 17.02.2021

—:निर्णय:—

पत्रावली प्रकरण में कार्यवाही नहीं चाहने के प्रार्थना पत्र पर सिगेह से तलब हुई। प्रार्थी व उनके अधिवक्ता श्री मांगीलाल बैरवा हाजिर | हाजिर होकर प्रकरण में राजीनामा हो जाने से कार्यवाही नहीं चाही | प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर शा० फ़ा० किया | प्रार्थना पत्र में इसी स्तर पर कार्यवाही ड्राप की जाती है। पत्रावली फैसल होकर नम्बर से कम है आदेश सुनाया गया |



(विनोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
कपासन

